न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/3543/2005/हनुमानगढ

जीवण पुत्र रतुराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रावतसर
2 हेतराम पुत्र रामरख
3 कृष्ण पुत्र रामरख
4 रास्वरूप पुत्र रामरख
5 जीयाराम पुत्र रामरख
6 जगदीश पुत्र रामरख
7 राजकुमार पुत्र रामरख
8 अमरसिंह पुत्र रारख सभी जाति जाट निवासी ग्राम भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री एस.पी.सिंह वकील अपीलार्थी
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः 10.1.2020

यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973(संक्षेप में नया सीलिंग कानून) के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 33/05 में पारित निर्णय दिनांक 30.6.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राधिकृत अधिकारीउपखण्ड अधकारी रावतसर ने असेसी रामरख एवं जीवण पुत्रान रतु के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर रामरख के परिवार में 2 पुत्र बालिग होने से उसे 3 इकाई के बराबर भूमि धारण करने का अधिकारी मानते हुए रामरख के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होने उसके विरूद्ध सीलिंग

कार्यवाही समाप्त कर दी। जीवण पुत्र रतु के परिवार में कोई बालिग सदस्य नहीं होना मानकर उसे एक इकाई के बराबर भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए जीवण के हिस्से में से 24.03 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 ने अतितिरक्त कलक्टर, नोहर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 30.6.05 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी जीवण का एक पुत्र देवीया उर्फ देवीलाल निर्धारित तिथि को 18 वर्ष का होकर बालिग था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने को आधार मानकर निर्णय दिया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। वोटर उम्र का आधार नहीं हो सकती। जीवण ने अपने बयानों में एवं तहसीलदार, नोहर की रिपोर्ट में भी देवीया उर्फ देवीलाल उर्फ जीवण को बालिग बताया गया है। जिससे जीवण भी दो इकाई के बराबर भूमि रखने का अधिकारी है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्कदिया कि जीवण के परिवार में निर्धारित तिथि को 11 सदस्य है। 5 सदस्यों से अधिक प्रत्येक सदस्य 5 स्टे0 एकड भूमि अतिरिक्त धारण करने का अधिकारी है जिससे भी जीवण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं रहती है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि जीवण के परिवार में कोई भी सदस्य बालिग नहीं है जिससे जीवण एक इकाई के बराबर भूमि धारण करने का अधिकारी है। जीवण का पुत्र देवीलाल निर्धारित तिथि को बालिग नहीं था। वोटर लिस्ट में उसका नाम अंकित नहीं है जिससे देवीलाल को बालिग नहीं माना जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयें के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी ने रामरख पुत्र रतु एवं जीवण पुत्र रतु दोनों के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तहसीलदार, नोहर की रिपोर्ट के अनुसार रामरख के परिवार में उसके दो पुत्र निर्धारित तिथि को बालिग होना मानकर रामरख के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना माना है। इसके विरूद्ध जीवण के परिवार में कोई पुत्र बालिग नहीं होना मानकर निर्णय देते हुए जीवण के हिस्से में से 24.03 बीघा अधिग्रहण करने का आदेश दिया है।

7. पत्रावली पर जीवण के बयानों में उसके पुत्र देवीया उर्फ देवीलाल की आयु 18 वर्ष निर्धारित तिथि को होना बताया गया है। इसके साथ तहसीलदार राजस्व, नोहर द्वारा दिनांक 8.10.74 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवार एवं रकबे का विवरण की पटवारी रिपोर्ट सलंग्न है। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी ने रामरख के परिवार में दो पुत्रों को बालिग माना है एवं इसी रिपोर्ट में जीवण के पुत्र देवीया को 18 वर्ष का होना दर्शाया गया है। इस प्रकार जीवण के बयान एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार जीवण का एक पुत्र निर्धारित तिथि को बालिग था। इसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वोटर लिस्ट में जीवण के पुत्र का नाम नहीं होने को आधार माना है जो समुचित नहीं है क्योंकि वोटर लिस्ट में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नागरिक अपना नाम जुडवाता हो, सम्भव नहीं है एवं वोटर लिस्ट कभी भी उम्र का एकमेव दस्तावेज नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जीवण का एक पुत्र बालिग होने से जीवण दो इकाई के बराबर भूमि रखने का अधिकारी है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने एक इकाई द्वारा 43.03 बीघा भूमि कमाण्ड तुल्य भूमि रख सकता है, माना है। जीवण के परिवार में उक्तानुसार दो इकाई होने से जीवण 86.12 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि रखने का अधिकारी है। जीवण के हिस्से में मात्र 67.07 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि आती है। इस प्रकार जीवण के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने से हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं अतिरिक्त कलक्टर, नोहर का निर्णय दिनांक 30.6.05 तथा उपखण्ड अधिकारी, रावतसर का निर्णय दिनांक 31.12.03 निरस्त किये जाते है तथा जीवण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने से उसके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य